उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-37/2018/एस-2-सी0एम0-48/दस-2018-88क(1)/2018टीसी-3

लखनऊ :: दिनॉक:: 03 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री विवेक कुमार सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट),इलाहाबाद को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त नियंत्रक, प्रयाग राज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

हरिश्चन्द्र

उप सचिव।

<u>संख्या-37/2018/एस-2-सीएम-48(1)/दस-2018-88क(1)/2018टीसी-3, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
2- आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4- मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट),इलाहाबाद।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
9- श्री विवेक कुमार सिंह, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट),इलाहाबाद।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।